

**राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों  
को केन्द्रीय आयोजना सहायता का प्रत्यक्ष अंतरण**

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2006-2007	ब.अ. 2007-08	सं.अ. 2007-2008	ब.अ. 2008-09
1.	<b>कृषि मंत्रालय</b>		<b>1675.08</b>	<b>2372.82</b>	<b>2345.04</b>	<b>2980.95</b>
	<b>कृषि और सहकारिता विभाग</b>		<b>1475.44</b>	<b>2143.05</b>	<b>2096.10</b>	<b>2724.00</b>
(i)	बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए बीज संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा सुदृढीकरण	2401	40.00	50.00	311.00	64.00
(ii)	राष्ट्रीय आर्गेनिक फार्मिंग संवर्धन परियोजना	2401	1.00	0.50	0.80	1.00
(iii)	शुष्क भूमि/वर्षा सिंचित फार्मिंग प्रणाली का संपोषण	2401	...	166.20	...	...
(iv)	राज्य विस्तार सेवाओं को समर्थन	2401	46.18	205.95	139.00	256.00
(v)	कृषि संबंधी आर्थिक नीति तथा विकास हेतु निविष्टि संबंधी उपाय	2401	22.00	20.00	20.00	22.00
(vi)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	2401	945.29	1150.00	900.00	1100.00
(vii)	लघु सिंचाई	2401	460.67	550.00	450.00	500.00
(viii)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	2401	...	...	275.00	780.00
(ix)	कपास तकनीकी मिशन	2401	0.30	0.40	0.30	1.00
	<b>पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग</b>		<b>199.64</b>	<b>229.77</b>	<b>248.94</b>	<b>256.95</b>
(i)	राष्ट्रीय पशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना	2403	118.76	41.00	40.99	52.52
		2552	...	...	10.00	7.80
(ii)	पशु बीमा	2403	50.60	30.00	16.32	14.00
		2552	...	...	5.00	2.00
(iii)	आत्महत्या सम्भावित 31 जिलों के लिए विशेष पैकेज	2403	...	139.12	139.57	145.48
		2404	...	...	4.00	3.76
(iv)	सहकारियाओं के सहायता	2404	4.50	3.05	5.05	6.55
		2552	...	...	0.45	0.45
(v)	एकीकृत डेरी विकास परियोजना	2404	25.78	16.60	24.16	19.89
		2552	...	...	3.40	4.50
2.	<b>पर्यावरण तथा वन मंत्रालय</b>		<b>292.58</b>	<b>355.55</b>	<b>392.95</b>	<b>345.62</b>
	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम *	2406	292.58	355.55	392.95	345.62
3.	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		<b>4701.33</b>	<b>6631.00</b>	<b>5844.67</b>	<b>6788.75</b>
	<b>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग</b>		<b>4701.33</b>	<b>6449.00</b>	<b>5674.67</b>	<b>6538.75</b>
(i)	राष्ट्रीय वेक्टर बोन रोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	107.94	133.15	110.19	167.91
(ii)	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	2210	24.37	31.63	12.50	28.98
(iii)	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	2210	149.58	153.00	236.07	225.00
(iv)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	2210	283.90	881.00	335.50	452.00
(v)	राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम	2210	91.99	116.20	131.35	217.00
(vi)	राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम	2210	8.54	30.00	20.00	23.00
(vii)	राज्य पीआईपी हेतु लचीला पूल	2211	3496.15	4407.72	4298.32	4808.00
(viii)	पल्स पोलियो टीकाकरण	2211	420.90	678.30	478.30	564.81
(ix)	सूचना शिक्षा तथा संचार	2211	1.10	18.00	2.43	2.04
(x)	क्षेत्र परियोजना	2211	116.86	...	50.01	50.01
	<b>आयुष विभाग</b>		<b>...</b>	<b>182.00</b>	<b>170.00</b>	<b>250.00</b>
(i)	आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास तथा उन्नयन	2210	...	47.00	47.00	65.00
(ii)	आयुष अस्पतालों से सम्बन्धित योजना	2210	...	65.00	68.50	60.00
(iii)	आयुष औषधालयों से सम्बन्धित योजना	2210	...	55.00	39.40	60.00
(iv)	एएसयूएण्डएच दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण	2210	...	10.00	15.00	30.00
(v)	विशिष्ट औषधालयों/आईपीडी की स्थापना हेतु सरकारी-निजी भागीदारी	2210	...	5.00	0.10	5.00
(vi)	औषधीय पौधों कृषि, प्रसंस्करण और विपणन सहित औषधीय पौधों के प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना	2210	...	...	...	30.00
4.	<b>मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		<b>12467.03</b>	<b>11104.74</b>	<b>14357.19</b>	<b>14052.22</b>
	<b>स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग</b>					
(i)	महिला समाख्या (ईएपी)	2202	25.76	33.85	33.85	38.00
(ii)	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (ईएपी)	2202	97.91	77.91	97.91	50.00
(iii)	सर्व शिक्षा अभियान	2202	10886.11	9760.24	12020.24	10948.98
(iv)	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	2202	...	...	...	71.98
(v)	साक्षरता अभियान और आपरेशन पुनर्स्थापन	2202	...	...	...	14.98
(vi)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों तथा सिक्किम के लाभ हेतु परियोजना/योजनाओं के लिए एक-मुश्त प्रावधान	2552	1311.87	942.94	2058.39	2521.20
(vii)	वयस्क शिक्षा तथा दक्षता विभाग	2202	145.38	289.80	146.80	317.10
(viii)	सरकारी स्थानीय निकायों के स्कूलों को पूर्व प्राथमिक सहायता	2202	...	...	...	89.98
5.	<b>महिला तथा बाल विकास विभाग</b>		<b>...</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>23.00</b>
	प्रियदर्शिनी योजना	2235	...	10.00	10.00	23.00
6.	<b>नदीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय</b>		<b>40.55</b>	<b>188.10</b>	<b>169.30</b>	<b>291.55</b>
(i)	बायोगैस (एनपीबीडी)	2810	31.55	24.00	35.00	45.00
(ii)	ऊर्जा के अन्य स्रोत/लघुघुन बिजली	2810	9.00	10.50	10.50	55.00

राज्य/जिला स्तर के स्वायत्त निकायों/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों  
को केन्द्रीय आयोजना सहायता का प्रत्यक्ष अंतरण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग/संगठन	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2006-2007	ब.अ. 2007-08	सं.अ. 2007-2008	ब.अ. 2008-09
	(iii) गांव विद्युतीकरण कार्यक्रम	2810	...	126.00	94.00	86.00
	(iv) बायोमास पावर	2810	...	2.60	1.80	6.55
	(v) सौर ऊर्जा/सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम	2810	...	25.00	28.00	93.00
	(vi) पवन उर्जा कार्यक्रम	2810	...	...	...	6.00
7.	<b>ग्रामीण विकास मंत्रालय</b>		<b>24177.61</b>	<b>28395.51</b>	<b>27521.43</b>	<b>32544.11</b>
	<b>ग्रामीण विकास</b>		<b>20926.98</b>	<b>24403.89</b>	<b>23415.10</b>	<b>27604.29</b>
	(i) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई)	2505	3452.44	2331.55	1455.01	...
		2552	...	260.00	260.00	...
	(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस)	2505	8640.86	10739.35	10739.35	14339.60
		2552	...	1200.00	1200.00	1600.00
	(iii) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	2501	1164.77	1522.24	1522.24	1898.65
		2552	...	180.00	180.00	217.00
	(iv) डीआरडीए प्रशासन	2515	239.87	190.55	190.55	225.00
		2552	...	21.20	21.20	25.00
	(v) इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)	2216	2907.53	3628.70	3628.70	4853.20
		2552	...	404.00	404.00	541.00
	(vi) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	3054	4511.51	3499.80	3414.05	3419.84
		2552	...	390.00	390.00	455.00
	(vii) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)	2515	...	23.85	...	...
		2552	...	2.65	...	...
	(viii) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए)	2515	10.00	9.00	9.00	27.00
		2552	...	1.00	1.00	3.00
	<b>भू-संसाधन विभाग</b>		<b>1113.30</b>	<b>1114.44</b>	<b>1114.44</b>	<b>1650.00</b>
	(i) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)	2501	372.90	372.99	...	...
		2552	112.00	111.45	...	...
	(ii) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम #	2501	359.20	360.00	...	...
	(iii) मरु विकास कार्यक्रम #	2501	269.20	270.00	...	...
	(iv) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	2501	...	...	1001.99	1500.00
		2552	...	...	112.45	150.00
	<b>पेयजल आपूर्ति विभाग</b>		<b>2137.33</b>	<b>2877.18</b>	<b>2991.89</b>	<b>3289.82</b>
	(i) त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)	2215	1399.27	2009.18	2034.89	2291.51
	(ii) ग्रामीण स्वच्छता	2215	718.06	762.00	851.00	878.31
		2552	20.00	106.00	106.00	120.00
8	<b>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय</b>		...	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>4.00</b>
	स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता सुधार की योजना +	2408	...	0.05	0.05	4.00
9	<b>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय</b>		...	...	...	<b>5.00</b>
	अपने बच्चों की देख-भाल करने में असमर्थ महिलाओं को वित्तीय सहायता	2235	...	...	...	5.00
10	<b>पर्यटन मंत्रालय</b>		<b>17.38</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>58.00</b>
	<b>पर्यटन विभाग</b>					
	होटल प्रबंधन संस्थान, पाक कला संस्थान, पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, होटल प्रबंधन एवं खान-पान प्रौद्योगिकी परिषद + जोड़ राजस्व भाग	3452	17.38	50.00	50.00	58.00
	<b>पूँजी भाग</b>		<b>43371.56</b>	<b>49107.77</b>	<b>50690.63</b>	<b>57093.20</b>
11.	<b>वाणिज्यिक तथा उद्योग मंत्रालय</b>		<b>444.04</b>	<b>600.00</b>	<b>569.22</b>	<b>570.00</b>
	<b>वाणिज्य विभाग</b>					
	निर्यात सम्बद्ध आधारभूत संरचना और अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के विकास हेतु राज्यों को सहायता	5453	393.48	540.00	509.22	513.00
		4552	50.56	60.00	60.00	57.00
12.	<b>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय</b>		...	...	...	<b>20.00</b>
	अनुसूचित जाति विकास निगम	4225	...	...	...	19.00
		4552	...	...	...	1.00
	<b>जोड़ पूँजी भाग</b>		<b>444.04</b>	<b>600.00</b>	<b>569.22</b>	<b>590.00</b>
	<b>कुल जोड़</b>		<b>43815.60</b>	<b>49707.77</b>	<b>51259.85</b>	<b>57683.20</b>

\* पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रखा गया 51 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है (ब.अ. 2007-08 में अन्य बातों के साथ-साथ जिसे संबंधित विभाग द्वारा पिछले वर्ष के स्थान पर शामिल नहीं किया गया।

# इन योजनाओं को इसी मौजूदा वर्ष से आईडब्ल्यूएमपी के तहत समेकित किया गया है। अतः इन योजनाओं के लिए इस वर्ष सं.अ. और अगले वर्ष ब.अ. में प्रावधान नहीं है।

\$ बजट 2007-08 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए निर्यात किया गया 4.50 करोड़ रुपए शामिल नहीं है।

+ मंत्रालय/विभाग पिछले वर्ष (वर्षों) के आंकड़ों की रिपोर्ट नहीं कर सके।